

उत्तर मध्य रेलवे

अचल सम्पत्ति का विवरण/दिनांक 31 दिसम्बर 2010 (01.01.2011 की स्थिति)

- |  |   |
|--|---|
| 1. अधिकारी का पूरा नाम :- डा0 रूपा कपिल                | 2. अधिकारी की सेवा संवर्ग का पदनाम :- आई. आर.एम.एस. |
| 3. वर्तमान पद का नाम :- वरि. म0 चि. अधि. (एनेस्थिसिया) | 4. वर्तमान वेतन :- रू 55290/-                       |
| 5. नियुक्ति की तिथि :- 26.07.1988                      | 6. जन्म तिथि :- 17.08.1962                          |

वर्ग ख/क में यदि वर्ग ख में तदर्थ या नियमित रूप से

सम्पत्ति जिस स्थान पर स्थित है, उस ग्राम, तहसील, तालुका थाना, पोस्ट, नगर एवं जिला तथा प्रदेश का नाम एवं पूरा पता दे।	सम्पत्ति का नाम तथा विवरण		वर्तमान मूल्य	यदि सम्पत्ति स्वयं के नाम से नहीं हो तो जिसके नाम से हो उसका नाम बतायें तथा सरकारी कर्मचारी से उसका क्या संबंध है यह भी बतायें।	सम्पत्ति किस प्रकार अर्जित की गयी है, जैसे कय, लीज / रेहन/बंधक अथवा उत्तराधिकारी/उपहार के जरिए सम्पत्ति के अधिग्रहण की तिथि तथा उस व्यक्ति का नाम एवं पता बतायें जिससे सम्पत्ति प्राप्त की गयी है।	अचल सम्पत्ति से प्राप्त वार्षिक आय।	(टिप्पणी) भूखण्ड/भवन के कय/विकय करने के संबंध में प्रशासन से ली गयी अनुमति का विवरण।
	मकान तथा अन्य प्रकार के भवन।	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) सं. 1075 जिला गुड़गाँव/हरियाणा	नहीं	265 sqm के प्लॉट पर अर्बन स्टेट सेक्टर-23 ए प्लॉट सं. 1075 पर भवन का निर्माण दिसम्बर-09 में पूरा कर लिया गया है।	अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1.30 करोड़	पति के नाम पर	हरियाणा अर्बन विकास प्राधिकरण, गुड़गाँव हरियाणा द्वारा एलाटमेंट के आधार पर	रुपये 34200 प्रतिमाह	1. मैंने यह प्लॉट रेलवे में ज्वाइन करने से पहले बुक किया था तथा हरियाणा सरकार में कार्य करते हुए उचित माध्यम से बुक किया गया था। 2. पत्र सं. 797-ई/गज/एस.के./सीपीटीएम/उमरे दि. 21.05.09 को रेलवे बोर्ड को भी सूचित कर दिया गया है।

2.

1	2	3	4	5	6	7	8
(ख) नं. 462, मौजा-डबवन, परगना-अरैल, नैनी, इलाहाबाद जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश	नहीं	एक प्लॉट, 192 स्क्वार यार्ड आर.जी. नं. 462, मौजा-डबवन, परगना-अरैल, नैनी, इलाहाबाद	अनुमानित बाजार कीमत रुपये 500000/-	पति के नाम पर	(ख) जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश एक प्लॉट, 192 स्क्वार यार्ड आर.जी. नं. 462, मौजा-डबवन, परगना-अरैल, नैनी, इलाहाबाद	नहीं	महाप्रबंधक, उमरे द्वारा पत्र सं. 797-ई/राज/एस-के/डि.सी.वी.ओ./टी.उमरे दि. 28.07.08 को रेलवे बोर्ड को भी सूचित कर दिया गया है।

जो कालम लागू न हो उसे काट दें ।  
जिस कालनी में वास्तविक मूल आंकना संभव नहीं हो  
उनमें संपत्ति की वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुमानित मूल दर्शाएं  
इस अल्प अवधि के लीज /पट्टा का भी विवरण दिया जाना चाहिए।

प्रति हस्ताक्षरित  
विभागाध्यक्ष / म.रे.प्र.  
मुहर

हस्ताक्षर  
पदनाम- वरि. म0 चि. अधि. (एनेस्थिसिया)  
दिनांक -

चिकित्सा निदेशक  
Medical Director  
म.रे.प्र. केन्द्राय जिला इलाहाबाद  
N.C.R. Central Hospital  
इलाहाबाद Allahabad